not true. We are already committed to supply gas to the Rashtriya Chemicals and Fertilizers unit, and we are doing it.

SHRI S. W. DHABE: My question was about the cost.

SHRI JAGESH DESAI: Sir, it has been categorically stated that there will be no surplus gas available after supplying gas to the gas cracker unit in Maharashtra. The requirement of Maharashtra is much more. As such, the Minister will see, if any pressure from the Gujarat Government is put on you, you will not succumb to it. I want a categorical reply to this question.

MR. CHAIRMAN: Now there will be a question from the Gujarat Government.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Sir, we are committed to supply the required gas to the Maharashtra Cracker, and the Maharashtra Cracker would not suffer because of lack of gas supply.

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Mr. Chairman, Sir, the Minister said that all the gas available from the South Bassein has already been committed. May I know from the Minister what the total quantity, of gas available is and which the firms are to which gas has been committed?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: South Bassein gas is committed to various units including eight fertilizer plants and likely power generation power plants which are to be set up.

विधान सभा के चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन

*83. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने 1985 के विधान सभा के चुनावों से पूर्व मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु कई सुविधाओं की घोषणा करके चुनाव आयोग की हिदायतों का खुला उल्लंघन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ने भी इन घोषणाओं के बारे में एक नोट भेजा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विधान सभा के चुनावों के दौरान कई निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति कुछ विशेष जातियों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए की गई ; और

(घ) क्या राज्य के राजनीतिक दलों ने इन नियुक्तियों के विरुद्ध चुनाव आयोग के पास रोष-पत्र भेजे है ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोककुमार सेन) : (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि किसी दल या अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श संहिता के अतिलंघन के बारे में कोई सूचना नहीं दी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) (और) (घ) निर्वाचन आयोग ने बताया है कि उसे केवल एक शिकायत मिली है । यह शिकायत अध्यक्ष जिला समिति, लोक दल पार्टी, उज्जैन से प्राप्त हुई थी और यह तीन अभिकरणों अर्थात्, राज्य कृषि विकास निगम, भूमि विकास निगम और योजना बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में थी ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है यह आपने भी सुना है । "क" भाग का उत्तर और "ख" और "ग" भाग का उत्तर, इन दोनों का ही आपस में तालमेल नहीं है । पहले उत्तर में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और अंत में कहा जाए कि लोकदल के जिलाध्यक्ष की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है । मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकार की जानकारी इस सदन को भ्रमित करने वाली है या माननीय मंत्री जी को सही जानकारी नहीं दी गई है । चुनाव आयोग ने विधान सभा के चुनाव के समय पत्रकार सम्मेलन में यह कहा था कि मध्य प्रदेश में कोड आफ् कंडक्ट का खुला उल्लंघन हुआ है । सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के समय जनरल प्रोमोशन सब विद्यार्थियों को दे दिया गया पिछड़े वर्ग की जातियों को

सरकारी नौकरियों में आरक्षण चुनाव के समय दिया गया और चुनाव समाप्त होने के बाद वह आरक्षण वापस ले लिया गया । इतना ही नहीं भोपाल शहर के सभी झुग्गी- झोंपड़ी निवासियों को दो करोड़ रुपये का अनाज और दूध मुफ्त दिया गया । गैस पीड़ित अलग थे लेकिन सभी झुग्गी–झोंपड़ी निवासियों को यह सुविधा दी गई और निगमों के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए जातियों के आधार पर तथा एक तो आपने स्वीकार किया है उज्जैन का. साथ ही सरकारी हैलीकोप्टर्ज और हवाई जहाजों का उस समय उपयोग किया गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कोड आफ् कंडक्ट बनाया गया था. . . . .

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You please stop now, he will answer I will give one more supplementary.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो कोड आफ् कंडक्ट बनाया गया था वह क्या था और क्या ये सभी बातें कोड आफ कंडक्ट का उल्लघन नहीं थी ?

SHRI ASOKE KUMAR SEN: Sir, the hon. Member has reeled out various question together With due respect to him let me answer, first of all, the question that does not appear strictly relevant about the distribution of foodgrains and other materials to jhuggi-jhompri dwellers. This matter is not covered by the question. If that was done and if this was a bargaining for getting votes that will be clearly a corrupt practice which should be the subject of an election petition. No such election petition has been filed. So far as the Code of Conduct is concerned, the relevant rules are those: (1) "the Minister shall not combine their official tour with the electioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work." No such complaint has come. "The Government vehicles, machinery and personnel shall not be used for furtherance of the interests of the party in power. There is no such complaint If at all such a thing happens, it would be a matter of corrupt practice." (2) Public places such as maidans etc., shall not be monopolised by the ruling party for holding election meetings. Other parties and candidates shall be allowed to use such places on the same terms. (3) Rest Houses etc., shall not be allowed to be used by other parties or candidates in a fair manner. such and such. Now the answer to the question is quite clear that the Code of Conduct has not been violated. Even the Election Commissioner's observer has not indicated such a violation.

As regards the appointment of certain persons who were Chairmen/ Deputy Chairmen of the three State Corporations, there is no complaint up till now that they had helped the Government with men and material . . . .

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सर यह तो आपने मंजूर किया है ।

श्री अशोक कुमार सेन : देखिए, यह मंजूर नहीं किया है ।

MR. CHAIRMAN: Don't answer supplementary to a supplementary.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: You are right. Therefore, if such an allegation is brought before the Election Commission. I have no doubt, the Election Commission will took into it and bring it to the notice of the Government.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सभापति जी, इलैक्शन कमीशन की सैकंड रिपोर्ट 1984, बी पार्ट के, पेज 32 को आप देखें जिसमें कहा गया है कि सरकारी साधनों, सरकारी वाहनों का चुनाव में उपयोग नहीं होगा । लेकिन चुनाव के दौरान हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ है, हैलीकोप्टरों का उपयोग हुआ है । दूसरी बात जो रेकमेन्डेशन में कही गई है वह यह है कि अखबारों में ऐसे विज्ञापन सरकारी पैसे से नहीं दिये जायेंगे जिससे मतदाता प्रभावित हों । मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे विज्ञापन अखबारों में दिये गये या नहीं कि झुग्गी-झोंपड़ी वालों को प्लाट आवंटित किये गये है. विद्यार्थियों को जनरल परमोशन दिया गया है ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रपति जी ने संसद् के संयुक्त अधिवेशन में यह कहा कि सरकार चुनावों में सुधार के लिये कानून बनायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव सुधार कानून बनाने का फैसला सरकार कब तक लेगी?

श्री अशोक कुमार सेन : मैं बोल चुका हूं कि साधनों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें नहीं पहुंची हैं सरकार के सामने या इलैक्शन कमीशन के सामने जिससे मालूम हो सकता कि कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है। जो आपने रिफार्म के बारे में कहा, इसके लिये इलैक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है और जब सारी पार्टियों को बुलाकर कोई फैसला होगा, जो रिफार्म के बारे में, जो सिद्धान्त होंगे, उनको यहां सभा पटल पर रखेंगे।

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, the imputations implicit in the main question, attributing it to alleged violation of the Election Commission directives is understandable, but Sir, my question relates to blatant violation of the spirit of the Election laws with impunity and Sir, whether the Minister is aware that on account of the decision of the Supreme Court in the case of Kanwar Lal Gupta, the provisions relating to statutory ceiling on the expenditure of the candidate just virtually does not exist in reality; though in the Statute, it is provided that there has to be a ceiling on the expenses to be incurred by a candidate but in reality, there is no such ceiling. Sir, the most pernicious affect of this sort of violation of the spirit is—it gives pressure to money power May I, therefore, know from the Minister whether or not, he agrees, there is this violation of the spirit of the very important provision of the Election law and whether there is any thinking for appropriate amendment of the law?

SHRI ASOKE KUMAR SEN: Sir, that is a different question but I shall answer it.

MR. CHAIRMAN: If you want....

SHRI ASHOKE KUMAR SEN: I shall answer it. I am not going to avoid it because I am capable of answering it now. Sir, that is better. Flowing from the decision of Supreme Court in Kanwar Lal Gupta's case it was considered for years and it is a very old decision and that last conference of the parties with the Election Commission has not proposed any change in the law negativing the decision of the Supreme Court. If such a decision is arrived at by all the parties with the Election Commission and such a recommendation comes, no doubt the Government will place it before the House. It is the tradition and it has always been the practice of this House and of the other House that we only go by the recommendations of the Election Commission which are made after consultation with all the parties.

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : मान्यवर, सब-क्लाज 3 में जो प्रश्न हैं :

"Whether it is also a fact that during the Assembly elections, Chairmen of a number of Corporations were appointed to influence the voters of some particular castes."

उसका रिप्लाई है कि :

"The Election Commission had stated that it received only one complaint."

तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जो प्रश्न पूछा गया था, स्पेसिफिक प्रश्न तीन कारपोरेशन के संबंध में कि उनमें अध्यक्षों की और उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई कि नहीं, इस प्रश्न को इवेड किया गया है, मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यह रिटन रिप्लाई में आना चाहिये था। लेकिन फिर भी मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष, जिला लोकदल, उज्जैन की 21 तारीख की शिकायत है।

ये जो तीनों अभिकरण हैं, यानी राज्य कृषि विकास निगम, भूमि विकास निगम और योजना आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इन तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी या नहीं हुई थी ? यदि हुई थी तो किस तारीख को नियुक्ति हुई थी और वह तारीख चुनाव की घोषणा के बाद की थी या पहले की थी ?

श्री अशोक कुमार सेन : तारीख तो बाद में नहीं है मगर जो शिकायतें पहुंची हैं इलैक्शन कमीशन के सामने उससे यह मालूम होता है कि उनके पास एक ही शिकायत पहुंची थी । इसके बारे में मैंने जवाब दिया है । सिर्फ अगर नियुक्ति हुई तो उससे साबित नहीं होगा कि यह कायदे या नियम का उल्लंघन हुआ (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पेसिफिक था, लिखित प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं दिया गया है और जब पूरक प्रश्न में एक बात पूछी गई है तो उसका भी उत्तर नहीं दिया जाता है । स्पष्ट प्रश्न यह है कि इस आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई या नहीं की गई , वह . .(**व्यवधान**)

श्री अशोक कुमार सेन : वह तो मैंने जवाब दे दिया है । (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: He only wants to know whether the appointment was made before or after the elections.

श्री अशोक कुमार सेन : इसके पहले नियुक्ति हुई थी इसमें क्या प्रमाणित होता है ।

श्री कैलाशपति मिश्र : सभापति महोदय, लोक सभा के चुनाव के पहले और चुनाव में सुधार का सवाल इसी सदन में उठाया गया था । उस समय भी विधि मंत्री जी ने यह कहा कि कैबीनेट रिकमेंडेशन के ऊपर विचार करेगी । लोक सभा और विधान सभाओं दोनों के चुनाव समाप्त हो गये चुनाव आयोग का सेकेंड एनुअल रिपोर्ट, 1984 में प्रकाशित हुआ उस रिपोर्ट के अन्दर कई ऐसी चीजें भरी हुई हैं बिहार के विषय में रिपोर्ट में लिखा गया है कि क्रोनिक बूथ केपचरिंग वहां पर चल रही है । इलैक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, सुझाव दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि . . . (**व्यवधान**) . . .

MR. CHAIRMAN: Not relevant. It relates to the election in Madhya Pradesh and that, too, in relation to violation of the code of conduct.

श्री कैलाशपति मिश्र : उसी से रिलेटिड सवाल है । रिकमेंडेशन इलैक्शन कमीशन का जो कुछ भी है । इस पर पहले भी चर्चा हुई है और 1989 तक उसी प्रकार यह चर्चा चलेगी लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे ? पार्टियों से बात करना, चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन पर विचार करना, और उसके अन्दर निर्णय लेना, इसके लिये क्या कोई समय की सीमा निर्धारित करेंगे इस का स्पष्ट उत्तर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Sir, most of the recommendations that we have received from the Election Commission have been fully documented and passed on to the Government and we are...

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : हिन्दी में जवाब दीजिये ।

श्री हंसराज भारद्वाज : श्रीमान् जी, जितने भी सुझाव चुनाव आयोग से आये हैं उन पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है हमारे मंत्रालय में और वे हमने अब सरकार को इसलिये भेज दिये हैं कि शीघ्र ही पोलिटिकल पार्टीज को बुला कर के उनसे विचार-विमर्श करें । मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को इस बात की खुशी होगी कि शीघ्र ही तमाम पार्टियों को बुलाया जायेगा और उन से बातचीत की जायेगी । अभी चुनाव हुए हैं, 6 महीने पहले हुए हैं, ज्यादा देरी नहीं हुई है , अभी काफी समय है, मेरा ख्याल है कि दो महीने के अन्दर आप लोगों को बुलाया जायेगा और बड़े उच्च स्तर पर यह बात तय होगी ।

बाकी मध्य प्रदेश के बारे में जो आपने पूछा है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं । यह अप्वाइंटमेंट्स जो हुए थे जिनकी डेट यह है 11-2-85, 12-2-85 और 4-3-85 । इलैक्शन का अनाउंसमेंट 22-1-85 को हुआ और नोटीफिकेशन 29-1-85 को हुआ और डेट आफ इलैक्शन था 2-3-85 ।

श्री कैलाशपति मिश्र : मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ । **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: No, no. Next question.

*84 [*The questioners (Shri Rafique Alam and Shrimati Ratan Kumari) were absent. For answer vide col. infra.*]

Modernisation of Telecommunication Systems

*85. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that modernisation of telecommunication system through private sector is being contemplated by Government;

(b) if so, whether feasibility of modernisation of telecommunication in public sector has been considered by Government; and

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, what are the results thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) to (c) It is proposed to modernise and improve the telecommunication services in the country by using all available resources and participation of both the private and the public sector. While the Public Sector will continue to play major role in the production of telecommunication equipment for modernisation and expansion, keeping in view the large variety and quantities of equipment that will be required, it has been decided to liberalise the policy with regard to manufacture and permit production of various types of terminal equipment, used at the subscribers permises in the private sector.

SHRI K. VASUDEV PANICKER: My first question: (a) I want to know from the Minister the major areas of production the public sector will go in for, and (b) whether modernisation will ensure a faster growth of telecommunication especially in the rural side of the country, and, if so, within what time.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I have said in my answer that we have opened up to the private sector a very limited area on the production of telecommunication equipment, namely, the equipment that is installed at the subscriber's end like telephone instruments, PABXs, and things of that nature which a subscriber instals at his residence or office. The rest of it is already with the public sector and will continue to be so. Some areas are coming up in the joint sector but that is not relevant here. As regards the development in rural areas, in the Seventh Plan we have proposed that the latest technology would be available for expansion of telecommunication facilities in the rural areas We will do it in a variety of ways. We are trying to use the radio system for connecting a group of villages for telecommunication purposes because there are places in the hilly areas and in the forests where transmission lines, open wire lines, etc. do not work. So, one aspect of taking telecommunications to the backward, rural, hilly and tribal areas would be using the radio system. Another way which we will try to take communication facilities to farthest corners would be through the satellite, as, for example, in the north-eastern region. We have a number of other schemes by which the telecommunication sector would provide benefits to the rural areas.

SHRI K VASUDEVA PANICKER: Second: I want to know whether the